

अनुबंध 4 : कार्य और वित्त आबंटन का सांविधिक ढांचा

सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) के अंतर्गत भारतीय संविधान संघीय और राज्य स्तरीय सरकार के वित्तीय संसाधनों और संबंधित कार्यों को निर्धारित करता है और उसमें निम्नवत तीन सूचियां हैं :

सूची 1 - संघीय सूची (97 मदें)

- कार्य : रक्षा, अणु ऊर्जा और खनिज संसाधन, विदेशी मामले, राजनयिक संबंध, रेलवे, वायुमार्ग, डाक और टेलीग्राफ, संघीय लोक ऋण, मुद्रा और सिक्के, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, आदि।
- स्रोत : आय कर (कृषि आय छोड़कर), सीमा शुल्क, विनिर्मित माल पर उत्पाद शुल्क, निगम कर, सेवा कर आदि।

सूची II - राज्य सूची (66 मदें)

- कार्य : सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, कृषि, जल, मत्स्य व्यवसाय, राज्य का लोक ऋण, आदि।
- स्रोत : कृषि आय पर कर, भूमि-भवन पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर, बिजली कर, माल के क्रय-विक्रय पर कर (वैट), वाहनों पर कर, चुंगी, व्यवसाय, व्यापार पर कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, आदि।

सूची III - समवर्ती सूची (47 मदें)

- आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, भारतीय प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बेरोजगारी, श्रम कल्याण, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, मूल्य नियंत्रण, कारखाने, बिजली, आदि।

स्रोत : भारतीय संविधान, भारत सरकार।